भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †4675
21अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई के अंतर्गत सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों को सहायता

†4675. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण में सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) योजना का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) खजुराहो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना जिलों और खजुराहो शहर में इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और व्यक्तिगत उद्यमियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इसके अंतर्गत प्रशिक्षण, प्रारंभिक पूंजी, ब्रांडिंग और विपणन सहायता प्रदान कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही उक्त क्षेत्रों में इस प्रकार प्रदान की गई सहायता क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सहित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्दम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) से (घ): मध्य प्रदेश के कटनी, पन्ना और छतरपुर जिलों को पीएमएफएमई योजना के तहत प्रदान की गई सहायता निम्नानुसार है:

कटनी जिला:

- **ऋण से जुड़ी सब्सिडी** : व्यक्तिगत उद्यमों के लिए 87 ऋण स्वीकृत किए गए।
- **प्रारंभिक पूंजी** : 96 एसएचजी सदस्यों के लिए 0.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं
- **प्रशिक्षण** : 18 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया
- **ब्रांडिंग और विपणन** : कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ

पन्ना जिला:

- **ऋण से जुड़ी सब्सिडी** : व्यक्तिगत उद्यमों के लिए 184 ऋण स्वीकृत किए गए।
- **प्रारंभिक पूंजी** : 2643 एसएचजी सदस्यों के लिए 8.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- **प्रशिक्षण** : 38 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया
- **ब्रांडिंग और विपणन** : कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ

खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का छतरपुर जिला:

- **ऋण से जुड़ी सब्सिडी** : व्यक्तिगत उद्यमों के लिए 95 ऋण स्वीकृत किए गए।
- **प्रारंभिक पूंजी** : 89 एसएचजी सदस्यों के लिए 0.24 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं
- **प्रशिक्षण** : 50 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया
- **ब्रांडिंग और विपणन** : कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ

*****

अनुबंध

दिनांक 21.08.2025 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई के अंतर्गत सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों को सहायता" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4675 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण

(i). *वैयक्तिक/समूह श्रेणी के सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण-से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii). *स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजी सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक होगी।

(iii). *सामान्यअवसंरचना के लिए सहायता:* सामान्य अवसंरचना स्थापित करने हेतु एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सहायता प्रदान करने हेतु 35% की दर से ऋण-आधारित पूंजीगत सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे अपनी क्षमता के एक बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv). *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान।

(v). *क्षमता निर्माण:* इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

*****